Publication	Dainik Bhaskar	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	11
CCM	45.05		

भास्कर Explainer

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च

सहारा में फंसा 1.7 करोड़ लोगों का पैसा 45 दिनों में मिलेगा

नई दिल्ली| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया। इसकी मदद से सहारा समूह की 4 समितियों से जुड़े 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाया जाएगा। शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपए तक का रिफंड में मिलेगा।

जानें कैसे काम करेगा पोर्टल।

▪ सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वास्तविक दावों के समाधान के लिए बनाया गया है। इन समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।

▪ कितना पैसा वापस मिलेगा?
शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल से जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपए का वितरण होगा। जिससे 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। पहले चरण में प्रत्येक जमाकर्ता अधिकतम 10,000 रुपए प्राप्त कर सकेगा। शुरुआत में परीक्षण के सफल होने पर रिफंड की राशि बढ़ाई जाएगी।

▪ सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड क्लेम करने के लिए क्या शर्तें हैं?
रिफंड का दावा करने के लिए जमाकर्ताओं को दो शर्तों को पूरा करना होगा। पहला- उनका आधार, उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा- उन्हें रसीद विवरण देना होगा और एक फॉर्म भरना होगा, जिसे उन्हें रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा।

▪ रिफंड के लिए कहां आवेदन करें?
रिफंड पोर्टल का लिंक https://mocrefund.crcs.gov.in है। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in/ पर भी लिंक उपलब्ध है।

▪ जमाकर्ता को कैसे पता चला कि उसका फॉर्म सही से भरा गया है?
पोर्टल पर दावा सफलतापूर्वक सबमिट होने पर पोर्टल पर एक संख्या जेनरेट होगी और यह मैसेज के माध्यम से भी दावा करने वाले के रजिटर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

▪ रिफंड में कितने दिन लगेंगे?
आवेदन के 30 दिनों में सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन होगा। सरकार ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि पोर्टल पर पंजीकरण के 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा।

▪ पैनकार्ड अनिवार्य है क्या?
यदि दावा राशि 50 हजार या उससे ज्यादा है तो जमाकर्ता को पैनकार्ड देना अनिवार्य होगा।

▪ अगर किसी जमाकर्ता के एक से ज्यादा खाते हैं तो क्या करें?
कई खातों के लिए एक ही फॉर्म भरना होगा, लेकिन हर खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र (सीडी) या पासबुक को स्कैन और अपलोड करना होगा।

▪ रिफंड के अन्य नियम क्या है?
केवल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from
SAMVAD

Publication	Dainik Bhaskar	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	1
CCM	18.21		

सहारा के निवेशकों की रकम वापस दिलाने की पहल

रिफंड पोर्टल पर आवेदन में मदद करेंगे 5.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सहारा समूह की सहकारी समितियों में जमा रकम को वापस दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। अब सरकार ने देशभर के 5.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को इससे जोड़ दिया है। ये सीएससी रिफंड के लिए आवेदन करने में निवेशकों/जमाकर्ताओं की मदद करेंगे। इससे गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। क्योंकि, देश की ज्यादातर पंचायतों में सीएससी हैं।

सहारा रिफंड पोर्टल को सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जमाकर्ताओं के दावों के लिए विकसित किया गया है। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी पोर्टल पर दावे पेश किए जा सकते हैं।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	10
CCM	5.8		

सहारा रिफंड के लिए कामन सर्विस सेंटर से भी आवेदन

नई दिल्ली : सहारा समूह की समितियों में फंसे रुपयों की वापसी की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया में कामन सर्विस सेंटर को भी शामिल किया है। निवेशक अब कामन सर्विस सेंटर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने रिफंड पोर्टल को लांच किया था। (जाब्यू)

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	14
CCM	15.37		

पैक्स को मिलेगी मजबूती, कामन सर्विस सेंटर की तरह भी करेंगे काम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) की ओर से कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। पैक्स को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय, सहकारी नीति और सहकारी डाटाबेस बना रही है। पैक्स को बहुद्देशीय बनाकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी सहारा मिलेगा।

सहकारिता मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बताया गया कि महासंगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) एवं सीएससी के सहयोग से कराया जा रहा है। इस दौरान पैक्स की ओर से सीएससी की सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सीएससी पोर्टल पर अब तक कुल 17 हजार पैक्स आ चुके हैं, जिनमें से छह हजार से अधिक सीएससी के रूप में सेवाएं देना शुरू कर चुके हैं।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Hindustan	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	5
CCM	9.61		

पैक्स की तरफ से भी सीएससी सेवाएं

नई दिल्ली, वि.सं.। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानि पैक्स की तरफ से कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। महासंगोष्ठी का आयोजन सहकारिता मंत्रालय का विभाग, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सीएससी के सहयोग से कर रहा है। इस कार्यक्रम में पैक्स द्वारा सीएससी सेवाएं प्रदान किए जाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई पहल की है।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from SAMVAD

Publication	Rajasthan Patrika	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	2
CCM	26.03		

कनेक्टीविटी की समस्या के मद्देनजर फैसला

सहारा से रिफंड के लिए सीएससी की मदद ले सकेंगे ग्रामीण

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. देश के दूरस्थ व ग्रामीण इलाकों में कनेक्टीविटी व अन्य समस्याओं के मद्देनजर सहारा से रिफंड हासिल करने के लिए गांवों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद भी ली जा सकेगी। केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। सीएससी से जुड़े ग्राम स्तर के उद्यमी अपने केंद्रों से ग्रामीणों को रिफंड दावे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करेंगे। शाह ने मंगलवार को सहारा की विभिन्न सहकारी समितियों में जमा राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस दौरान सामने आया कि कई ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में कनेक्टीविटी व अन्य सुविधाएं नहीं आने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर शाह ने ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के रिफंड आवेदन के लिए सीएससी की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। देश भर में साढ़े पांच लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध करवा रहे हैं। इन सेंटर्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रामाणिक जमाकर्ता सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस)-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए निकटतम सीएससी की मदद ले सकेंगे। यह पोर्टल सहारा समूह की चार सहकारी समितियों यथा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है ।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

MINISTRY OF COOPERATION
Print Media Conversations
Period of Analysis: 20-07-2023 to 20-07-2023

Sr. No.	Date	Headline	Publication	Edition	Page no	Journalist	CCM
1	20th Jul 2023	Shah: Sahara refund portal' to help crores of depositors	Deccan Chronicle	Hyderabad	7	Amresh Srivastava	27.42
2	20th Jul 2023	पैक्स को मिलेगी मजबूती, कामन सर्विस सेन्टर की तरह भी करेंगे काम	Dainik Jagran	Dehradun	14		
3	20th Jul 2023	Villagers will be able to take help of CSC for refund from Sahara	Rajasthan Patrika	New Delhi	2	Bureau	24.23
4	20th Jul 2023	5.5 lakh CST will help to apply on the refund portal	Divya Bhaskar	Ahmedabad	1, 6	Bureau	8.17
5	20th Jul 2023	Rs 1.7 crore people trapped in Sahara will get money in 45 days	Divya Bhaskar	Ahmedabad	16	Bureau	17.5
6	20th Jul 2023	सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेंगी मदद	Freedom Fighter	Ranchi	12		
7	20th Jul 2023	सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेंगी मदद	Aj	Ranchi	12		

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Sr. No.	Date	Headline	Publication	Edition	Page no	Journalist	CCM
8	20th Jul 2023	सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेंगी मदद	Deshpran	Ranchi	12		
9	20th Jul 2023	सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेंगी मदद	Swadesh Today	Ranchi	1		

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Deccan Chronicle	Language	English
Edition	Hyderabad	Journalist	Amresh Srivastava
Date	20/07/2023	Page no	7
CCM	27.42		

Shah: 'Sahara refund portal' to help crores of depositors

AMRESH SRIVASTAVA | DC with agency inputs
NEW DELHI, JULY 18

With an aim of giving relief to the nearly 10 crore depositors of Sahara Group, the Union home and cooperation minister Amit Shah on Tuesday launched 'CRCS-Sahara Refund Portal', that aimed at refund of hard earned money of depositors in four cooperative societies of said group in about 45 days. Describing it as a historic moment, he said this was the first time when depositors would be getting their money back in a case where multiple government agencies are involved and each one has done a seizure.

"The process of returning the money of depositors, which was stuck in four cooperative societies of Sahara Group, has started with the launch of Sahara Refund Portal," Shah said.

Assuring the depositors, Shah said that no one could stop their money now.

Earlier on March 29, the government had said money would be returned to 10 crore investors of the four cooperative societies within nine months.

The announcement came after a Supreme Court order directing transfer of ₹5,000 crore from Sahara-Sebi refund account to the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS).

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	Dehradun	Journalist	
Date	20/07/2023	Page no	14
CCM	N/A		

पैक्स को मिलेगी मजबूती, कामन सर्विस सेंटर की तरह भी करेंगे काम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) की ओर से कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। पैक्स को देश में सहकारिता की रीढ़ माना जाता है। इसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी सेवाओं की आपूर्ति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पैक्स को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय, सहकारी नीति और सहकारी डाटाबेस बना रही है। पैक्स को बहुद्देशीय बनाकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी सहारा मिलेगा।

सहकारिता मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बताया गया कि महासंगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) एवं सीएससी के सहयोग से कराया जा रहा है। इस दौरान पैक्स की ओर से सीएससी की सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सीएससी पोर्टल पर अब तक कुल 17 हजार पैक्स आ चुके हैं, जिनमें से छह हजार से अधिक सीएससी के रूप में सेवाएं देना शुरू कर चुके हैं। इसी वर्ष फरवरी में अमित शाह और केंद्रीय इलेक्ट्रानिक और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में पैक्स को सीएससी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। इसके तहत पहले चरण में 63 हजार पैक्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरे चरण में तीस हजार पैक्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय की ओर से व्यापक विमर्श के बाद तैयार मॉडल बायलाज के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पैक्सों को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। पैक्सों को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल की एजेंसी आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्रालयों के प्लानों से पैक्सों को सीएससी के रूप में कार्य करने, एफपीओ बनाने, एलपीजी वितरण के लिए आवेदन करने, खुदरा पेट्रोल-डीजल पंप आउटलेट एवं जन औषधि केंद्र खोलने, उर्वरक वितरण केंद्रों के रूप में काम करने के लिए भी सक्षम बनाया जा रहा है।

- अमित शाह करेंगे 21 जुलाई को दिल्ली में महासंगोष्ठी का उद्घाटन
- पैक्स को माना जाता है देश में सहकारिता की रीढ़

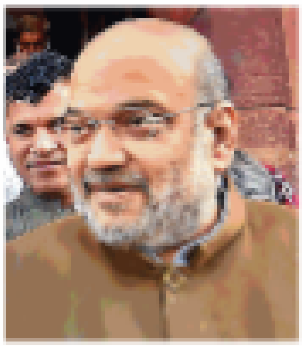

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Rajasthan Patrika	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	2
CCM	24.23		

कनेक्टीविटी की समस्या के मद्देनजर फैसला

सहारा से रिफंड के लिए सीएससी की मदद ले सकेंगे ग्रामीण

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. देश के दूरस्थ व ग्रामीण इलाकों में कनेक्टीविटी व अन्य समस्याओं के मद्देनजर सहारा से रिफंड हासिल करने के लिए गांवों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद भी ली जा सकेगी। केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। सीएससी से जुड़े ग्राम स्तर के उद्यमी अपने केंद्रों से ग्रामीणों को रिफंड दावे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करेंगे। शाह ने मंगलवार को सहारा की विभिन्न सहकारी समितियों में जमा राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस दौरान सामने आया कि कई ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में कनेक्टीविटी व अन्य सुविधाएं नहीं आने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर शाह ने ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के रिफंड आवेदन के लिए सीएससी की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। देश भर में साढ़े पांच लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध करवा रहे हैं। इन सेंटर्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रामाणिक जमाकर्ता सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस)-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए निकटतम सीएससी की मदद ले सकेंगे। यह पोर्टल सहारा समूह की चार सहकारी समितियों यथा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from
SAMVAD

Publication	Divya Bhaskar	Language	Gujarati
Edition	Ahmedabad	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	1, 6
CCM	8.17		

સહારાના રોકાણકારોને રકમ પાછી મળશે

રિફંડ પોર્ટલ પર અરજી કરવા 5.5 લાખ સીએસટી મદદ કરશે

ભાસ્કર ન્યૂઝ | નવી દિલ્હી

સહારા જૂથની સહકારી સમિતિઓમાં જમા રકમને પાછી અપાવવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મંગળવારે રિફંડ પોર્ટલ લૉન્ચ કર્યું હતું. હવે સરકારે દેશભરના 5.5 લાખ કોમન સર્વિસ સેન્ટર તેની સાથે જોડી દીધાં છે.

આ સેન્ટરમાં રિફંડ માટે અરજી કરવા રોકાણકારો-જમાકર્તાઓને મદદ કરશે. તેનાથી ગામ અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં રહેલા લોકોને ઘણી મદદ મળશે. તેનું કારણ એ છે કે દેશની મોટા ભાગની પંચાયતોમાં કોમન સર્વિસ સેન્ટર છે.

સહારા રિફંડ પોર્ટલ સહારા જૂથની ચાર સહકારી સમિતિ- સહારા ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ., સહારાયન યુનિવર્સલ મલ્ટીપર્પઝ સોસાયટી લિ.,

...અનુસંધાન પાના નં. 6

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from
SAMVAD

રિફંડ પોર્ટલ...

હમારા ઈન્ડિયા ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ., અને સ્ટાર્સ મલ્ટીપર્પઝ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના જમાકર્તાઓના દાવા માટે વિકસિત કરાયું છે. આ ઉપરાંત સહકાર મંત્રાલયના માધ્યમથી પણ પોર્ટલ પર દાવા કરી શકાય છે.

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from
SAMVAD

Publication	Divya Bhaskar	Language	Gujarati
Edition	Ahmedabad	Journalist	Bureau
Date	20/07/2023	Page no	16
CCM	17.5		

ભાસ્કર Explainer

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સહારા રિફંડ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું

સહારામાં ફસાયેલા 1.7 કરોડ લોકોના પૈસા 45 દિવસમાં મળશે

નવી દિલ્હી । કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સીઆરસીએસ-સહારા રિફંડ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. તેની મદદથી સહારા જૂથની 4 સહકારી મંડળીઓના 1.7 કરોડ થાપણદારોને તેમનાં નાણાં પાછાં મળશે. શરૂઆતમાં થાપણદારોને 10,000 રૂપિયા સુધીનું રિફંડ મળશે.

પોર્ટલ કેવી રીતે કામ કરશે તે જાણો.

▪સીઆરસીએસ-સહારા રિફંડ પોર્ટલ શું છે?

સીઆરસીએસ-સહારા રિફંડ પોર્ટલ એ અસલી થાપણદારો દ્વારા દાવા રજૂ કરવા માટે આ પોર્ટલ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. જેમણે સહારા જૂથની 4 સહકારી મંડળીઓમાં નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું. જેમાં સહારા ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ, સહારાયન યુનિવર્સલ મલ્ટિપર્પઝ સોસાયટી લિમિટેડ, હમારા ઈન્ડિયા ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ અને સ્ટાર્સ મલ્ટીપર્પઝ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ સામેલ છે.

▪કેટલા પૈસા પરત મળશે?

પ્રારંભિક તબક્કામાં રિફંડ પોર્ટલ દ્વારા થાપણદારોને રૂ. 5,000 કરોડ સુધીનું વિતરણ કરવામાં આવશે. 1.7 કરોડ થાપણદારોને પ્રથમ તબક્કામાં 10,000 મેળવી શકશે.

▪ રિફંડનો દાવો કરવા માટેની શરતો શું છે?

રિફંડનો દાવો કરવા માટે થાપણદારોએ બે શરતો પૂરી કરવી પડશે. પ્રથમ- તેમનો આધારનંબર તેમના મોબાઈલ નંબર જે બેન્ક ખાતા સાથે લિન્ક હોવો જોઈએ

▪રિફંડ માટે કઈ જગ્યાએ અરજી કરવી ?

રિફંડ પોર્ટલની લિન્ક https://mocrefund.crcs.gov.in છે. સહકાર મંત્રાલયની વેબસાઈટ https://cooperation.gov.in/ પર પણ લિન્ક ઉપલબ્ધ છે.

▪થાપણદારને કેવી રીતે ખબર પડે કે ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરાઈ ગયું ?

પોર્ટલ પર દાવો સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવા પર પોર્ટલ પર એક નંબર જનરેટ કરવામાં આવશે અને દાવેદારના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર SMS દ્વારા પણ મોકલવામાં આવશે.

▪રિફંડ માટે કેટલા દિવસો લાગશે?

અરજીના 30 દિવસમાં સહારા ગ્રૂપની સહકારી મંડળીઓ દ્વારા અરજીની ચકાસણી કરાશે. સરકારે થાપણદારોને ખાતરી આપી કે પોર્ટલ પર નોંધણીના 45 દિવસમાં રિફંડ મળી જશે.

▪શું પાનકાર્ડ ફરજિયાત છે?

જો દાવાની રકમ 50 હજાર કે તેથી વધુ છે તો જમાકર્તાને પાનકાર્ડ આપવું ફરજિયાત રહેશે.

▪જો થાપણદાર પાસે એક કરતાં વધુ ખાતાં હોય તો શું?

બહુવિધ ખાતાંઓ માટે એક જ ફોર્મ ભરવું પડશે, પરંતુ ડિપોઝિટનું મૂળ પ્રમાણપત્ર (CD) અથવા પાસબુક દરેક ખાતાં માટે સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાની રહેશે.

▪અન્ય રિફંડ નિયમો શું છે?

પોર્ટલ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન કરવામાં આવેલા દાવાઓ પર જ વિચાર કરવામાં આવશે. દાવો કરવા માટે કોઈ ફી નથી.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Freedom Fighter	Language	Hindi
Edition	Ranchi	Journalist	
Date	20/07/2023	Page no	12
CCM	N/A		

सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेंगी मदद

एजेंसी

नयी दिल्ली : सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों का पैसा केन्द्र सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस करवा रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सहारा रिफण्ड पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल पर निवेशक जरूरी दस्तावेज अप्लोड कर 45 दिनों के अंदर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकताओं को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी सहायता करेंगे। मंत्रालय का कहना है कि कोई भी निवेशक अपने निकट के सीएससी केन्द्र पर जाकर अपने दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाइन करवा सकते हैं।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय का कहना है कि देश भर में फैले हुए 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सीएससी में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन भरने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल को सहारा समूह की 04 सहकारी समितियों-सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Aj	Language	Hindi
Edition	Ranchi	Journalist	
Date	20/07/2023	Page no	12
CCM	N/A		

सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉम भरने में सीएससी करेंगी मदद

नई दिल्ली। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों का पैसा केन्द्र सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस करवा रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सहारा रिफण्ड पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल पर निवेशक जरूरीदस्तावेज अप्लोड कर 45 दिनों के अंदर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं को सीआरसीएससहारा रिफंड पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी सहायता करेंगे। मंत्रालय का कहना है कि कोई भी निवेशक अपने निकट के सीएससी केन्द्र पर जाकर अपने दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि देश भर में फैले हुए 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं । इन सीएससी में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा सीआरसीएससहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन भरने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि सीआरसीएससहारा रिफंड पोर्टल को सहारा समूह की 04 सहकारी समितियों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पजकोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है । सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया था।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Deshpran	Language	Hindi
Edition	Ranchi	Journalist	
Date	20/07/2023	Page no	12
CCM	N/A		

सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेगी मदद

नई दिल्ली, 19 जुलाई (हि.स.): सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों का पैसा केन्द्र सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस करवा रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सहारा रिफण्ड पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल पर निवेशक जरूरी दस्तावेज अप्लोड कर 45 दिनों के अंदर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकताओं को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी सहायता करेंगे। मंत्रालय का कहना है कि कोई भी निवेशक अपने निकट के सीएससी केन्द्र पर जाकर अपने दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि देश भर में फैले हुए 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं । इन सीएससी में इंटरनेट कनेक्टिविटी , कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रमाणिक जमाकताओं द्वारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन भरने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को सहारा समूह की 04 सहकारी समितियों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है । सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया था।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Swadesh Today	Language	Hindi
Edition	Ranchi	Journalist	
Date	20/07/2023	Page no	1
CCM	N/A		

सहूलियत : गृह मंत्री ने निवेशकों के हित में लिया सराहनीय फैसला

सहारा की सहकारी समितियों से पैसा वापसी का फॉर्म भरने में सीएससी करेंगी मदद

स्वदेश समाचार सेवा

नई दिल्ली : सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों का पैसा केन्द्र सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस करवा रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल पर निवेशक जरूरी दस्तावेज अप्लोड कर 45 दिनों के अंदर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सहारा ग्रुप की सहकारी

समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी सहायता करेंगे। मंत्रालय का कहना है कि कोई भी निवेशक अपने निकट के सीएससी केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि देश भर में फैले हुए 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सीएससी में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन भरने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD